# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

| करण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 221/2024 | 22.05.2024 | 11.06.2024 |

उनवान

1. मगना पुत्र प्यारा जाति जाट, उम्र वयस्क, निवासी गई ईरास तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. ईश्वर पुत्र लेहरू जाट, निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. धनश्याम पुत्र लेहरू जाट निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. उदयलाल पुत्र देबीलाल जाट निवांसी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. दुर्गा लाल पुत्र देबीलाल जाट निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. राजू देवी पत्नी देबीलाल जाट निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. रामू देवी पुत्री देबीलाल जाट निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. लाड देवी पुत्री देबीलाल जाट निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. प्रवीण पुत्र बद्रीलाल शर्मा निवासी जी 59 आर0 के0 कॉलोनी भीलवाड़ा
9. भैरू लाल पुत्र उगमा जी जाट, निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. सांवर प्रजापत पुत्र शंकर जी निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
11. प्रकाश प्रजापत पुत्र शंकर जी निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
12. जगदीश प्रजापत पुत्र मिट्ठू लाल प्रजापत निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
13. रोशन प्रजापत पुत्र मिट्ठू लाल प्रजापत निवासी ईरास सुवाणा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
14. रमेश चन्द्र पुत्र नाथु जी राठी निवासी भदादा मौहल्ला भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
15. अनील कुमार पुत्र राधावल्लभ राठी निवासी राज ट्रेडर्स के पास सांगानेरी गेट भीलवाड़ा
16. सत्यनारायण पुत्र बरदीचन्द जी सुथार निवासी सांगानेर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा राज0

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी अम्बालाल कुमावत

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपस्थित नहीं

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

## –: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

### –: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ईरांस नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 157 की अभिलिखित आराजियात 3505/1, 3506, 3510/1, 3676/2 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9611 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायंत 16 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा ईरांस नई प0ह0 सुवाणा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 157 की अभिलिखित आराजियात 3505/1, 3506, 3510/1, 3676/2 कुल किता 04 कुल रकबा 0.9611 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हों तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

हल्का सुवाणा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सुवाणा, ...
स्थित है, जिसके आराजी संख्या 3505/1 रकबा 0.1897 हेक्टेयर (15 बिस्वा),